

मूल वाद में अन्तिम डिक्री  
बमुकद में ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 310/2021

वादपत्र अं. धारा 88,53 आर.टी.ए.

1. राधा देवी पत्नी कृष्णचन्द्र जाति ब्राह्मण साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।(मृत)
  - 1- सुनील कुमार (मृत)
  - 1/1- सुलोचनादेवी पत्नी सुनील कुमार जाति ब्राह्मण साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
  - 1/2- गरीटा पुत्री सुनीलकुमार पत्नी धीरज कुमार जाति ब्राह्मण साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
  - 1/3- सुमन ओझा पुत्री सुनील कुमार पत्नी मानेज कुमार जाति ब्राह्मण साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
  - 1/4- अंजली ओझा पुत्री सुनील कुमार जाति ब्राह्मण साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
- 2- भरतराम पि0 कृष्णचन्द्र जाति ब्राह्मण साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
- 3- राजेन्द्र कुमार पि0 कृष्णचन्द्र जाति ब्राह्मण साकिन रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

—वादीगण

#### बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र गोपालचंद जाति माहेश्वरी बिहाणी निवासीगण वार्ड नं. नया 18 संगरिया तहसील संगरिया।
2. नरेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णभगवान जाति माहेश्वरी बिहाणी निवासीगण वार्ड नं. नया 18 संगरिया तहसील संगरिया।
3. विरेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश (मृत)
  - 3/1- अनिता पत्नी विरेन्द्र कुमार बिहाणी निवासी संगरिया।
  - 3/2- वरुण पुत्र विरेन्द्र कुमार बिहाणी निवासी संगरिया।
  - 3/3- वसुन्धरा पुत्री विरेन्द्र कुमार निवासी संगरिया।
4. शशिकान्त पुत्र कृष्णभगवान (मृत)
  - 4/1- सरिता पत्नी शशिकान्त बिहाणी निवासी संगरिया।
  - 4/2- पर्लव पुत्र शशिकान्त बिहाणी निवासी संगरिया।
  - 4/3- श्रुति पुत्री शशिकान्त बिहाणी निवासी संगरिया।
5. सुरजीत सिंह पिसरान भूरसिंह जाति तरखान निवासी वार्ड नं. नया 30 संगरिया तहसील संगरिया।
6. बलजीत सिंह पिसरान भूरसिंह जाति तरखान निवासी वार्ड नं. नया 30 संगरिया तहसील संगरिया।
7. तहसीलदार राजस्व संगरिया।



प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक :-

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ रमेश देव आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री संजय साहेवाल प्रति.संख्या 5 ता 6, श्री वकील प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है एव तहसीलदार भू.अ.संगरिया से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मुताबिक अन्तिम डिक्री निम्नानुसार दी जाती है:-

चक 12 एसबीएन के खाता संख्या 109/79 कुल (2.455) में मोके पर कब्जा काश्त की भूमि :-

1. राधादेवी (फौत) पत्नी कृष्णचन्द्र जाति ब्राह्मण सा. रतनपुरा का कब्जा वारिसान का (1) सुनीलकुमार पुत्र कृष्णचन्द्र (फौत) (1) सुलोचना देवी पत्नी सुनीलकुमार 1/12 हि (2) गरीटा पुत्री सुनीलकुमार 1/12 हि (3) सुमन ओझा पुत्री सुनीलकुमार 1/12 हि (4) अंजली ओझा पुत्री सुनील कुमार 1/12 हि (2) भरतराम पुत्र कृष्णचन्द्र (3) राजेन्द्र कुमार पुत्र कृष्णचन्द्र चक 12 एसबीएन के खाता संख्या 109/79 प.नं. 180/199 मु.नं. 30 किला नं. 16/1/0.025, 16/2/0.101, 17 ता 20/0.253 है. प्र 22/2/0.242, 23/0.253, 24/0.177, 25/0.202 कुल रबि 2.012 है. बारानी प्रथम
2. बलजीतसिंह, सुरजीतसिंह पि भूरसिंह जाति तरखान सा. संगरिया प.नं. 180/200 मु.नं. 47 किला नं. 8/0.190, 9/0.253 है. कुल रकबा 0.443 है बारानी प्रथम।

अतः उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नहीं है तो तहसीलदार संगरिया की अनुशंशा के आधार पर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार भू.अ.संगरिया के पत्र क्रमांक:-प्रा.डिक्री/भू.अ./023/1239 दिनांक 12.05.2023 द्वारा प्राप्त विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिग्री का आवश्यक भाग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यदि हक हिस्सा प्रभावित नहीं हो तो ऋणि काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारों का अमल दरामद कर दिया जावे।

निज.....x.....मुब्लिक.....x....बाबत.....100/-....खर्चा मुकदमे के मय शूद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक.....x....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 31/05/2023 को खुले न्यायालय में जारी किया गया।



(रमेश देव)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया